कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग परिमण्डल, देहरादून ।
तपोवन रोड निकट दूरदर्शन केन्द्र रायपुर रोड देहरादून।
फोन /फैक्स : 0135-2789747

पत्रांक 818 /ग्रा0नि0वि0/निविदा सूचना-10 /2014-2015 दिनांक 21 दिसम्बर 2015

-: ई - निविदा सूचना :-

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से विभाग में सडक निर्माण कार्यों हेतु विभाग में निम्न तालिका के कॉलम 06 के अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून द्वारा निम्न कार्यों की निविदा ई-टेण्डरिंग द्वारा दिनांक 08.01.2016 को दोपहर 2.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित सभी सूचना http:// www. uktenders.gov.in पर दिनांक 30.12..2015 से उपलब्ध होगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य टी0टी0	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार हेतु श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगॉव में सेमलसारी से दारस्यू तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3,76,000.00	2000.00 + 13.5%TT	12 माह	"ए" एवं उच्च श्रेणी।
2	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसैड में धरासू बैण्ड-ब्रम्हखाल के कि0मी0 5 में फैडी से ग्राम पंचायत कौडा तक मोटर मार्ग निर्माण।	7,46,000.00	2000.00 + 13.5%TT	12 माह	"ए" एवं उच्च श्रेणी।
3	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में सुच्याण गांव से हल्टाडी तक मोटर मार्ग का निर्माणं।	4,13,000.00	2000.00 + 13.5%TT	12 माह	"ए" एवं उच्च श्रेणी।
4	जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में त्यूनी-मोरी-पुरोला राष्ट्रीय राजमार्ग के कि0मी0 15 में स्थित हनोल से ब्यूलाड तक ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण।	4,78,000.00	2000.00 + 13.5%TT	12 माह	"ए" एवं उच्च श्रेणी।

-:निविदा की शर्तें:-

1. निविदा की वैद्यता 90 दिन होगी।
2. बिना धरोहर धनराशि की निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के साथ ठेकेदार द्वारा उक्त धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक जो कि अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून के नाम बन्धक हो, दि0 06.01.2016 तक मूल रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा दरो की वैधता हेतु 100 रू0 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 1.00 रू0 का रेवन्यू टिकट पर हस्ताक्षर सहित घोषणा पत्र दि0 06.01..2016 तक मूल रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. ठेकेदार को निविदा ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा वैबसाइट http:// www. uktenders.gov.in पर ही प्रस्तुत करनी होगी।
5. निविदा हेतु मैनुवल 69-'70/ जी0पी0डब्ल्यू0-9/ विभाग द्वारा गठित एम0ओ0यू0 के समस्त प्राविधान लागू होंगे।
6. निर्माण कार्य से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी 06.01.2016 से पूर्व किंसी भी कार्य दिवस को ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड कार्यालय उत्तरकाशी/टिहरी से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही निविदादाताओ से यह भी अपेक्षा की जाती है किं वह निविदा डालने पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर लें।
7. सफल निविदादाता को सूचना मिलने पर एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार जमानत की धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बन्धक रखते हुए उपस्थित होना होगा अन्यथा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. यदि निविदादाता द्वारा विभागीय दरों से अत्यधिक कम दरों पर निविदा दी जाती है तो शासनादेश संख्या 6447/ii (2)/11-20(सा0)/11 दिनांक 02 जनवरी 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार निविदादाता को अतिरिक्त कार्यपूर्ति गांरटी के रूप में धनराशि जमा करनी होगी।
9. सशर्त एवं अपूर्ण निविदा मान्य नही होगी।
10. निविदा में दी गई दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी।
11. किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिंना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
12. ऐसे ठेकेदार जो पूर्व से विभाग में कार्य कर रहे है और उनके द्वारा अनुबन्ध के समय से डेढ गुना अधिक समय में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है उनको निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. टी0ए0सी0 उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कोई कमी पाई जाती है या कोई वसूली निकाली जाती है तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर टी0ए0सी0 की जांच के उपरान्त ठेकेदार की जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

14. समय–समय पर शासनादेशों के अनुसार आयकर/व्यापार कर/रायल्टी एवं अन्य कटौतियाँ नियमानुसार ठेकेदार के बीजक से कटौर्त की जायेगी।
15. निविदा में मदवार कार्य की अंकित मात्रा परिस्थिति के अनुसार घटाई–बढायी जा सकती है।
16. यदि शासन द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते है या उक्त कार्य को स्थागित किया जात है तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य को रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार किये गये कार्य के ही भुगतान का दावेदार होगा, तथा अवशे कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नही होगा।
17. कार्य पर विवाद की स्थिति में विवाद क्षेत्र जनपद देहरादून होगा।
18. उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा एम0ओ0यू0 किया गया है, जिसमें कार्यो को पूर्ण करने हेतु अवधि निर्धारित की गयी है निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर अर्थदण्ड का प्राविधान है। अतः अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि कार्य समय से पूर्ण नही किया गय तो निर्धारित अर्थदण्ड की वसूली ठेकेदार से की जायेगी।
19. निविदा प्रपत्र की उक्त निर्धारित धनराशि परिमण्डल कार्यालय में नकद जमा कर अथवा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभा प्रखण्ड देहरादून के पदनाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
20. निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि, निविदा प्रपत्र का मूल्य, रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर तथा विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र एं निविदा हेतु दी गयी समस्त जानकारियों की सत्यता हेतु रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीयुक्त शपथ पत्र दिनांक 06.01.201 सांय 5.00 बजे तक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. यदि निर्धारित तिथि को सर्वर में खराबी के कारण निविदा नहीं खोली गई तो निविदा अगले दिन खोली जायेगी।
22. कार्य अनुबन्ध गठित होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को मोटर मार्ग का निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये एल सैक्शन तथा क्रास सैक्शन के अनुसार अधिशासी अभियन्ता/वर्क इन्चार्ज के निर्देशानुसार करना होगा इसी प्रकार क्रास डेनेज, स्कपर हिल साईड कटिंग, रिटेनिंग वाल, कैम्बर तथा हिल साईड ड्रेन निर्धारित मानकों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता/वर्क इन्चार्ज के निर्देशानुसार करना होगा

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग
परिमण्डल देहरादून

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नाकितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक ग्रामीण सडकें एव ड्रेनेज विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी/देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 26.12.2015 पूर्व सम्बन्धित कार्यो के प्राक्कलन तथा शेडयूल बी निविदा अपलोड हेतु उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
4. जिलाधिकारी देहरादून/उत्तरकाशी।
5. कैशियर/नोटिस बोर्ड परिमण्डल कार्यालय देहरादून।

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग
परिमण्डल देहरादून।